



दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
04 $\frac{04}{19}$	<p>अभिलेख उपस्थापित। आवेदक पुना तियु, पिता-स्व0 विजय सिंह तियु ग्राम-टोन्टो, थाना- मुफसिल जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- डिलियामार्चा, थाना नं0- 108, खाता नं0- 293, प्लॉट नं0- 2811, रकवा- 0.10 एकड़ भूमि क्रेता कोलाय हेम्ब्रम, पिता-स्व0 दामु हेम्ब्रम, ग्राम-पासुहातु, थाना- मुफसिल के पास में विक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की विक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक भूमि पंजी II में आवेदक के नाम पर दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-174 दिनांक- 22.02.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि गृह निर्माण एवं ईलाज हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता कोलाय हेम्ब्रम, पिता- स्व0 दामु हेम्ब्रम, ग्राम- पासुहातु, थाना- मुफसिल के पास 6,58,000.00/- (छः लाख अन्दावन हजार) रूपये में विक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों मुफसिल थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का विक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।</p> <p>उपरोक्त प्लॉट की विक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पत्ति समुचित है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा द्वारा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता पुना तियु, पिता-स्व0 विजय तियु, ग्राम-टोन्टो, थाना- मुफसिल, क्रेता कोलाय हेम्ब्रम, पिता- स्व0 दामु हेम्ब्रम, ग्राम- पासुहातु, थाना- मुफसिल के पास जमीन को कुल 6,58,000.00/- (छः लाख अन्दावन हजार) रूपये में मौजा- डिलियामार्चा, थाना नं0- 108, खाता नं0- 293, प्लॉट नं0- 2811, रकवा- 0.10 एकड़ जमीन को विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत विक्री द्वारा हस्तांतरण करने की <u>स्वीकृति</u> दी जाती है।</p> <p>लेखापित।</p> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p>	